

उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज०)

संख्या :- 68 / 2020
AS NO:- 2020/00148
अधिकारी :- श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 17.07.2020

1. छोदूलाल आ० गेन्दिया उर्फ गेन्दीलाल जाति बैरवां निवासी ग्राम रालडी पंचायत रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०

-वादी -

बनाम

1. बरधीलाल आ० गेन्दिया उर्फ गेन्दीलाल जाति बैरवां निवासी ग्राम रालडी पंचायत रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
2. सीताराम आ० गेन्दिया उर्फ गेन्दीलाल जाति बैरवां निवासी ग्राम रालडी पंचायत रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
3. राजूलाल आ० रामकूवार जाति बैरवां निवासी ग्राम रालडी पंचायत रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
4. निलेश आ० शंकर जाति बैरवां निवासी ग्राम रालडी पंचायत रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
5. सोनू आ० शंकर जाति बैरवां निवासी ग्राम रालडी पंचायत रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
6. अजय आ० शंकर नाबालिक जयें वली माता कमला पत्नी स्व. शंकर जाति बैरवां निवासी ग्राम रालडी पंचायत रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
7. मूर्ति बाई पुत्री शंकर जाति बैरवां निवासी ग्राम रालडी पंचायत रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
8. कमला पत्नी स्व. शंकर जाति बैरवां निवासी ग्राम रालडी पंचायत रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
9. केसरा आ० गोरू जाति बैरवां निवासी ग्राम रालडी पंचायत रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
10. पांच्या आ० गोरू जाति बैरवां निवासी ग्राम रालडी पंचायत रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
11. रामा आ० गोरू जाति बैरवां निवासी ग्राम रालडी पंचायत रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
12. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब नैनवां, तहसील नैनवां जिला बून्दी राज०

-प्रतिवादीगण-

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53 आर.टी एक्ट

उपस्थिति:-

वादी की ओर से वकील श्री रामबाबू शर्मा।
प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री इन्द्रमल प्रजापत

निर्णय दिनांक 12.04.2022

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 09.10.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार नैनवां से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं निम्न प्रकार से राजीनामा के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गए-

1. अजय, निलेश, सोनू पि० शंकर, मूर्ति पुत्री शंकर, कमला पत्नी शंकर जाति बैरवां निवासी रालडी रहन मुताबिक जमाबन्दी बदस्तुर
खसरा नं० रकबा
86 0.0784 हैक्टेयर
88 0.2767 हैक्टेयर
कुल किता-2 कुल रकबा- 0.3551 हैक्टेयर
2. छोदूलाल आ० गेन्दिया जाति बैरवां सा० रालडी रहन मुताबिक जमाबन्दी बदस्तुर
खसरा नं० रकबा
86 0.0323 हैक्टेयर
88 0.2103 हैक्टेयर
83 0.8818 हैक्टेयर
कुल किता-3 कुल रकबा- 0.1244 हैक्टेयर



- पाच्या आ० गोरू जाति बैरवां सा० रालडी रहन मुताबिक जमाबन्दी बदस्तुर
खसरा नं० रकबा
- 86 0.1000 हैक्टेयर
88 0.2541 हैक्टेयर
268 0.7685 हैक्टेयर
कुल किता-3 कुल रकबा- 01.1226 हैक्टेयर
4. राजूलाल आ० रामकुंवार कोम बैरवां सा० रालडी रहन मुताबिक जमाबन्दी बदस्तुर
खसरा नं० रकबा
- 268 0.7685 हैक्टेयर
कुल किता-1 कुल रकबा- 0.7685 हैक्टेयर
5. रामा आ० गोरू कोम बैरवां सा० रालडी खाते०
खसरा नं० रकबा
- 86 0.1082 हैक्टेयर
88 0.2443 हैक्टेयर
268 0.7685 हैक्टेयर
कुल किता-3 कुल रकबा- 01.1210 हैक्टेयर
6. प्रह्लादी पत्नी पांचू कोम बैरवां सा० रालडी रहन मुताबिक जमाबन्दी बदस्तुर
खसरा नं० रकबा
- 268 0.7685 हैक्टेयर
कुल किता-1 कुल रकबा-0.7685 हैक्टेयर
7. केसरा आ० गोरू (मृतक) कोम बैरवां सा० रालडी खाते०
खसरा नं० रकबा
- 86 0.0856 हैक्टेयर
88 0.2686 हैक्टेयर
कुल किता-2 कुल रकबा-0.3542 हैक्टेयर

8. राजूलाल पि० रामकुंवार, अजय, निलेश, सोनू पि० शंकर, मूर्ति पुत्री शंकर, कमला पत्नी शंकर, छोटूलाल, बरधीलाल पि० गेन्दिया, हरिराम, नरेन्द्रकुमार पि० सीताराम, चन्द्रकान्ता बाई कविता बाई रामघणी बाई पुत्रिया सीताराम, प्रेमबाई पत्नी सीताराम, रामा, पाच्या पि० गोरू एवं मृतक शोजी, शिवराज, पोखर पि० केसरा, कमला, सीता, सुगना पुत्रिया केसरा, दल्लू पत्नी केसरा कोम बैरवां सा० रालडी खातेदार रहन मुताबिक जमाबन्दी

खसरा नं०	रकबा	किस्म
181	0.162 हैक्टेयर	गे०मु० बाडा
87	0.0162 हैक्टेयर	गे०मु० झरडा

(उक्त ख०न० में खातेदारान संयुक्त खातेदारी में रहेंगे।)

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। बहस बंटवारा रिपोर्ट सुनी गई। तहसीलदार नैनवां से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। ग्राम रालडी पटवार मण्डल रजलावता तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 86 के खसरा संख्या 86 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 87 रकबा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 88 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 181 रकबा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 282 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा एवं जमाबन्दी संख्या 60 के खसरा संख्या 340/05 रकबा 15 बीघा तथा खाता संख्या 87 के खसरा संख्या 268 रकबा 19 बीघा कृषि भूमि का विभाजन निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1. अजय, निलेश, सोनू पि० शंकर, मूर्ति पुत्री शंकर, कमला पत्नी शंकर जाति बैरवां निवासी रालडी रहन मुताबिक जमाबन्दी बदस्तुर
खसरा नं० रकबा
- 86 0.0784 हैक्टेयर
88 0.2767 हैक्टेयर
कुल किता-2 कुल रकबा- 0.3551 हैक्टेयर
2. छोटूलाल आ० गेन्दिया जाति बैरवां सा० रालडी रहन मुताबिक जमाबन्दी बदस्तुर
खसरा नं० रकबा
- 86 0.0323 हैक्टेयर
88 0.2103 हैक्टेयर
283 0.8818 हैक्टेयर
कुल किता-3 कुल रकबा- 01.1244 हैक्टेयर



उपखण्ड अधिकारी
COURT DECISION 2022
बैरवा (बन्दी)

- गोरू जाति बैरवां साठ रालडी रहन मुताबिक जमाबन्दी बदस्तुर
- खसरा नं० रकबा
- 86 0.1000 हैक्टेयर
- 88 0.2541 हैक्टेयर
- 268 0.7685 हैक्टेयर
- कुल किता-3 कुल रकबा- 01.1226 हैक्टेयर
4. राजूलाल आठ रामकुंवार कोम बैरवां साठ रालडी रहन मुताबिक जमाबन्दी बदस्तुर
- खसरा नं० रकबा
- 268 0.7685 हैक्टेयर
- कुल किता-1 कुल रकबा- 0.7685 हैक्टेयर
5. रामा आठ गोरू कोम बैरवां साठ रालडी खाते
- खसरा नं० रकबा
- 86 0.1082 हैक्टेयर
- 88 0.2443 हैक्टेयर
- 268 0.7685 हैक्टेयर
- कुल किता-3 कुल रकबा- 01.1210 हैक्टेयर
6. प्रहलादी पत्नी पांचू कोम बैरवां साठ रालडी रहन मुताबिक जमाबन्दी बदस्तुर
- खसरा नं० रकबा
- 268 0.7685 हैक्टेयर
- कुल किता-1 कुल रकबा-0.7685 हैक्टेयर
7. केसरा आठ गोरू (मृतक) कोम बैरवां साठ रालडी खाते
- खसरा नं० रकबा
- 86 0.0856 हैक्टेयर
- 88 0.2686 हैक्टेयर
- कुल किता-2 कुल रकबा-0.3542 हैक्टेयर
8. राजूलाल पिठ रामकुंवार, अजय, निलेश, सोनू पिठ शंकर, मूर्ति पुत्री शंकर, कमला पत्नी शंकर, छोटूलाल, बरघीलाल पिठ गेन्दिया, हरिराम, नरेन्द्रकुमार पिठ सीताराम, चन्द्रकान्ता बाई कविता बाई रामघणी बाई पुत्रिया सीताराम, प्रेमबाई पत्नी सीताराम, रामा, पाच्या पिठ गोरू एवं मृतक शोजी, शिवराज, पोखर पिठ केसरा, कमला, सीता, सुगना पुत्रिया केसरा, दल्लू पत्नी केसरा कोम बैरवां साठ रालडी खातेदार रहन मुताबिक जमाबन्दी
- खसरा नं० रकबा किस्म
- 181 0.162 हैक्टेयर गोठमुठ बाडा
- 87 0.0162 हैक्टेयर गोठमुठ झरडा

(उक्त खठनठ में खातेदारान संयुक्त खातेदारी में रहेंगे।)

बंटवारा प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में भिन्न-भिन्न रंगों से प्रदर्शित हिस्सानुसार मौके पर डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के विभाजन से हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही किसी से करवायें।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बैरवां (बून्दी)

